राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2324/2012/अजमेर.

सहायक आयुक्त, विशेष वृत, अजमेर. .....अपीलार्थी,

बनाम

मैसर्स आर. के. मार्बल प्रा0 लिमिटेड,
मकराना रोड़, मदनगंज–किशनगढ़, अजमेर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री राजीव चौधरी, सदस्य
श्री के. एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री डी. कुमार, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 09/03/2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 92/12–13/वैट/किशनगढ़ में पारित किये गये आदेश दिनांक 11.09.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, अजमेर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2004–05 के लिये राजस्थान औद्योगिक प्रोत्साहन योजना–2003 (जिसे आगे **'योजना–2003'** कहा जायेगा) के क्लॉज 7(iii), 9(b) & 10 सपठित राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम 1994'** कहा जायेगा) की धारा 33 व 85 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 19.07.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी का योजना–2003 के तहत दिनांक 25.05.2004 को आदेश पारित किया जाकर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया गया था। उस कर निर्धारण आदेश दिनांक 25.05.2005 में संशोधन करते हुए दिनांक 19.07.2012 को आदेश पारित कर रूपये 24,08;752/– का अधिक भुगतान सब्सिडी के रूप में होना मानकर ब्याज सहित वसूली योग्य मानते हुए निर्णय किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त पारित संशोधित आदेश दिनांक 19.07.2012 के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील प्रस्तुत कर मूल आपत्ति यह की गई कि यह आदेश मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 25.05.2005 से 8 वर्ष पश्चात् पारित किया गया है जो अधिनियम 1994 की धारा 37 एवं वेट अधिनियम की धारा 33 में दी गयी

लगातार.....2

09/03/17

अवधि की समाप्ति के पश्चात् किये जाने से अविधिक है। उक्त आदेश में अपीलीय अधिकारी द्वारा गुणावगुण पर भी टिप्पणी की गई एवं सब्सिडी का लाभ जो दिनांक 25.05.2005 को दिया गया था उसे विधिसम्मत बताया साथ ही विवादित आदेश दिनांक 19.07.2012 वेट अधिनियम की उक्त धाराओं में निर्धारित अवधि के पश्चात् पारित किये जाने के आधार पर भी निरस्त किया जाना निर्णीत किया गया है। उक्त अपीलीय आदेश से व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को योजना–2003 के तहत पात्रता प्रमाण–पत्र दिनांक 15.04.2005 को जारी किया गया था एवं इकाई के आवेदन पर दिनांक 16.07.2004 से दिनांक 31.03.2015 की अवधि के लिये पूर्व तीन वर्षों की तुलना में अधिक जमा करवाये गये कर के 50 प्रतिशत राशि का अनुदान स्वीकृत किया गया। परन्तु दिनांक 10.10.2008 को वित्त विभाग द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया गया कि योजना के तहत अनुदान मासिक कर के आधार पर नहीं दिया जाकर त्रैमासिक कर के आधार पर स्वीकार किया जाये। उक्त स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट माना गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के योजना के अनुसार पूर्ववर्ती तीन वर्षों के अधिकतम सकल देय कर के आधार पर कर का निर्धारण कर उस देय कर से अधिक जमा कराई गई राशि का 50 प्रतिशत राशि देना विधिसम्मत था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस स्पष्टीकरण दिनांक 10.10.2008 के सन्दर्भ में यह संशोधन किया गया कि व्यवसायी का आधार जो पूर्व में रूपये 117.42 लाख माना गया था वह रूपये 196.92 लाख होना चाहिये था जो निर्धारण कम किये जाने से रेकॉर्ड की भूल थी अतः उसमें सुधार करते हुए दिनांक 24.03.2009 को दिनांक 25.05.2005 के आदेश को संशोधित किया गया एवं आधार वर्ष 2003–04 की अधिकतम करदेयता रूपये 1.96 करोड़ मानकर उस अनुपात में वृद्धि की गणना कर सब्सिडी दिये जाने का निर्णय किया गया जिससे पूर्व के आदेश दिनांक 25.05.2005 में दी गई सब्सिडी में कमी होने से उस आधार पर अधिक प्राप्त सब्सिडी को वसूल किये जाने के आदेश किये गये जो विधिसम्मत था।

4. अपीलार्थी राजस्व की ओर से कथन किया कि जो आदेश दिनांक 24.03.2009 को पारित किया गया था उसकी पुनः समीक्षा करते हुए यह पाया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी की विस्तारित इकाई को अनुदान आधार वर्ष की कर सीमा पूर्ण होने के पश्चात् की दिनांक से देय होता है जो इस प्रकरण में दिनांक

लगातार.....3

09/03/17

01.12.2004 आती है जिससे व्यवसायी को दिनांक 16.07.2004 से 30.11.2004 की अवधि के लिये जो ब्याज एवं मजदूरी का अनुदान रूपये 24,08,752/– किया गया था वह देने योग्य नहीं था जिसकी पुनः वसूली के आदेश किये गये जो विधिसम्मत होने से अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त कर कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 19.07.2012 को पुनर्स्थापित किये जाने का कथन किया। यह कथन किया कि तथ्यों के अनुसार व्यवहारी का सब्सिडी लाभ प्राप्त करने की दिनांक 01.12.2004 से ही प्रारम्भ हुई थी क्योंकि व्यवहारी के पूर्व वर्ष में अधिकतम देय कर की पूर्णता दिनांक 30.11.2004 को पूरी हुई थी इस तरह दिनांक 16.07.2004 से 30.11.2014 की अवधि के लिये दिया गया अनुदान देय ही नहीं था जिसकी वसूली किये जाने में कोई त्रुटि नहीं है।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी का आदेश विधि के अनुसार किया गया आदेश है एवं सर्वप्रथम आदेश दिनांक 25.05.2005 जिसमें सब्सिडी का आदेश किया गया था उसे प्रथम बार दिनांक 24.03.2009 को संशोधित कर उस सब्सिडी में कमी की गई थी जिसमें कर निर्धारण अधिकारी ने योजना–2003 के क्लॉज 9(B)(IX) में दिनांक 10.10.2008 के संशोधन के आलोक में कर निर्धारण आदेश को संशोधित किया था। उन्होंने कथन किया कि दिनांक 10.10.2008 के वित्त विभाग द्वारा योजना–2003 में किये गये संशोधन के फलस्वरूप पारित आदेश दिनांक 24.03.2009 के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 24.03.2009 को यथावत रखा परन्तु ब्याज को अपास्त कर दिया गया उक्त अपीलीय आदेश दिनांक 19.05.2009 के विरूद्ध विभाग एवं व्यवहारी द्वारा माननीय राजस्थान कर बोर्ड में अपील की जाने पर माननीय कर बोर्ड द्वारा दिनांक 24.10.2011 को निर्णय किया जाकर व्यवसायी की अपील स्वीकार की गई जबकि कर निर्धारण अधिकारी की अपील को अस्वीकार किया गया था। उन्होंने कथन किया कि माननीय कर बोर्ड ने दिनांक 24.10.2011 के आदेश में यह निर्णय दिया था कि जो प्रथम आदेश दिनांक 25.05.2005 पारित किया गया था वह सचेतन मस्तिष्क के साथ पारित आदेश था एवं पूर्ण विवेचना के पश्चात् सब्सिडी दी गयी थी उस आदेश को संशोधित करने के लिये विधि अनुमत नहीं करती है क्योंकि जो पुनः निर्धारण किया गया था वो दिनांक 10.10.2008 को योजना–2003 में किये गये संशोधन करने के प्रावधान वेट अधिनियम की धारा 33 को लागू करने के आलोक में किया गया था जो पूर्व के लिये लागू नहीं हो सकता था।

लगातार.....4

09/03/17

6. व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि माननीय कर बोर्ड के उक्त आदेश दिनांक 24.10.2011 के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की जाने पर दिनांक 14.12.2016 को विभाग की निगरानी याचिका खारिज कर दी गयी एवं माननीय कर बोर्ड के आदेश को विधिसम्मत घोषित किया गया।

7. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि मूल आदेश दिनांक 25.05.2005 में प्रथम संशाोधन दिनांक 24.03.2009 को उपरोक्तानुसार विधिक शर्तों के विरूद्ध माननीय कर बोर्ड द्वारा अवधारित कर दिये जाने एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी माननीय कर बोर्ड के आदेश को विधिसम्मत घोषित कर दिये जाने के बावजूद भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः दिनांक 19.07.2012 के इस अपील में विवादित आदेश के जरिये पुनः गणना करने का आदेश पारित कर दिया गया एवं मांग सृजित कर दी गयी जिसके विरूद्ध व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की तब अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 11.09.2012 के आदेश से यह निर्णय किया कि धारा 33 के तहत किया गया आदेश अवधिपार है एवं जो सब्सिडी दिनांक 25.05.2005 को जारी की गयी थी वह विधिसम्मत एवं त्रुटिरहित थी।

8. उपरोक़्त सभी आदेशों की प्रतियां प्रस्तुत करते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि विभाग द्वारा जो यह अपील प्रस्तुत की गई है वह स्वयं त्रुटिपूर्ण है क्योंकि अपील के आधारों में अपीलीय आदेश को प्रतिप्रेषित आदेश बताया गया है जबकि वह आदेश प्रतिप्रेषित नहीं था, जो आदेश से स्पष्ट है। इसके अलावा कथन किया कि दिनांक 19.07.2012 को जो आदेश पारित किया गया है वह कर निर्धारण अधिकारी के मूल आदेश दिनांक 25.05.2005 को संशोधित किये जाने के लिये किया गया है जो कि 7 वर्षों के बाद पारित आदेश है जो संशोधन किये जाने की समयसीमा की अवधि समाप्त होने के 3 वर्ष बाद किया गया है जो अविधिक होने से इस आधार पर ही अपास्त योग्य था एवं इसी अनुसार अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक रूप से इसे अपास्त किया गया है अतः अपीलीय आदेश में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

9. यह भी कथन किया गया कि दिनांक 25.05.2005 के आदेश को पहली बार दिनांक 24.03.2009 को रिव्यू के रूप में संशोधित किया गया था जिसे माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा अपास्त किया जा चुका है ऐसी स्थिति में वह आदेश माननीय कर बोर्ड के आदेश में अन्तर्वलित हो चुका है जिसे पुनः

लगातार.....5

09/03/17

संशोधित नहीं किया जा सकता। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.12.2016 में उक्त आदेश दिनांक 24.03.2009 को कर बोर्ड द्वारा अपास्त करना विधिसम्मत बताते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी आदेश को संशोधन के प्रावधानों के तहत रिव्यू नहीं किया जा सकता।

10. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण से सम्बन्धित प्रस्तुत किये गये विभिन्न आदेशों का अध्ययन किया गया।

11. हमारे समक्ष प्रस्तुत अपीलीय आदेश के विरूद्ध जो आक्षेप विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं वे विधिक प्रावधानों के अनुसरण में नहीं हैं क्योंकि अपीलीय आदेश में दो बिन्दुओं पर निर्णय किया गया है कि दिनांक 25.05.2005 का आदेश केवल 4 वर्ष की अवधि में ही संशोधित किया जा सकता था तथा यह भी अंकित किया गया कि दिनांक 25.05.2005 में जो सब्सिडी दी गयी थी वह विधिसम्मत थी। हमारे समक्ष प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मुख्यतया यह विरोध किया गया है कि दिनांक 19.07.2012 का आदेश प्रथमतः अवधिपार है एवं इस सम्बन्ध में पूर्व में ही अन्य पारित आदेश दिनांक 24.03.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में माननीय राजस्थान कर बोर्ड एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय कर दिया गया है कि दिनांक 25.05.2005 के आदेश में किसी भी तरह का संशोधन किया जाना अविधिक है। अब पुनः उसी आदेश में दिनांक 19.07.2012 को जो संशोधन किया गया है वह पुनः किन्हीं अन्य आधारों पर किया गया है जो पुनः अविधिक है।

12. प्रकरण के तथ्यों एवं विवादित आदेशों की जांच पर यह प्रकट है कि कर निर्धारण अधिकारी का आदेश दिनांक 19.07.2012 अवधिपार आदेश है क्योंकि पूर्व अधिनियम की धारा 37 एवं वर्तमान वेट अधिनियम की धारा 33 दोनों में ही समयसीमा 4 वर्ष ही है जबकि यह आदेश 7 वर्ष के पश्चात् पारित किया गया है अतः अपीलीय आदेश विधिक प्रावधानों के आलोक में किया गया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं होने से इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

13. फलतः अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

14. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल.जैन)
सदस्य

(राजीव चौधरी)
सदस्य